न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 87/2021

(जी सी एम एस नम्बर 2021/193)

उनवानी प्रकरण :–

1–कल्यान पुत्र छोटे	
2–भत्तो पुत्र छोटे	समस्त जातिगण जाटब
3–साबो पुत्री छोटे	
4–भूदेबी बेबा रमेश	निवासीगण बसईनबाव
4–रामनिवास पुत्र रमेश	
5–बद्री पुत्र रमेश	तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

————————अपीलान्टस

बनाम्

1–तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर

2–कमलसिंह पुत्र बाबू	समस्त जातिगण जाटब
3–ढालचन्द पुत्र बाबू	
4–कमला पुत्री बाबू	निवासीगण बसईनबाब
5–पूरनदेई पत्नी बाबू	तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

————————रेस्पोडेण्टस

अपील विरुद्व नामान्तकरण संख्या 2619
दिनांक 12.09.2020 बॉके ग्राम बसईनबाब–ए
आदेश तहसीलदार सैपऊ

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ★ धौलपुर (राज0) ★

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट सं01 की ओर से :– पैरोकार सरकार
रेस्पोडेण्ट सं0 2लगा05 की ओर से :– श्री राजेन्द्र सिंह राना एडवोकेट

निर्णय

दिनांक : 04.07.2023

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि आराजी मुन्दर्जे नामान्तकरण संख्या 2619 वाके ग्राम बसईनबाब–ए तहसील सैंपऊ में वर्णित आराजीयात के खातेदार काश्तकार अपीलान्ट सं0 1लगा0 3 के बाबा एवं

अपीलान्ट सं0 4लगा06 के पूर्व पुरूष तथा रैस्पो0सं0 2लगा04 के बाबा तथा रैस्पो0सं05 के ससुर सुन्दरा पुत्र खूबी थे तथा अपने जीवन पर्यन्त मुताविक हिस्सा विवादित आराजीयात पर काविज काश्त रहे। सुन्दरा का निधन अर्सा करीब 36 वर्ष पूर्व हो चुका है। मृतक सुन्दरा ने अपने निधनोउपरान्त अपने बारिसान के रूप में पुत्रगण छोटे, रजरी व बाबू को छोडा है जिन्होने मृतक सुन्दरा का समस्त तर्का बिरासतन मुताविक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम बहिस्सा बराबर–बराबर प्राप्त किया तथा सुन्दरा द्वारा छोडी गयी समस्त आराजीयात पर मुताविक हिस्सा संयुक्त रूप से काबिज काश्त हुये। अपीलान्टस के पूर्व पुरूष छोटे का भी निधन हो चुका है। अपीलान्टस मृतक छोटे के बारिसान व कायममुकान है तथा रैस्पोडेन्टस संख्या–2 लगा0 5 मृतक बाबू के जायज बारिसान व कायममुकाम है जिन्होने विवादित आराजीयात मृतक बाबू पुत्र सुन्दरा की विरासत प्राप्त हुई है। रैस्पो0 सं0 2 लगा0 5 ने रैस्पो0 संख्या–1 से साजकर मृतक सुन्दरा के निधनोउपरान्त आराजी मुन्दर्जे नामान्तकरण संख्या 2619 ग्राम बसईनबाब–ए पर तन्हा अपने आपको मृतक सुन्दरा का उत्तराधिकारी दर्शित कर तन्हा अपने नाम अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करा लिया है जो कि बमुकावले हकूक अपीलान्टस प्रारम्भ से ही शून्य तथा बेअसर है। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ अधिकारी द्वारा मृतक सुन्दरा के बारिसान की किसी प्रकार जॉच पडताल नहीं की और बिना जॉच पडताल किये रैस्पो0सं01 व 2लगा05 ने आपस में सांठ गांठ कर महज रैस्पो0 सं0 2लगा05 को अवैध लाभ पहुंचाने की नीयत से रैस्पो0सं01 द्वारा तहत नामान्तकरण आदेश पारित किया है जो अपने आप में प्रारम्भ से ही शून्य है तथा काबिल निरस्ती के है। अपीलाधीन नामान्तकरण का ज्ञान अपीलांटस को सर्वप्रथम हल्का पटवारी से दिनांक 02.08.2021 को हुआ उसी दिन अपीलान्टस ने अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल अपीलान्टस को दिनांक 05.08. 2021 को प्राप्त हुई। अपीलान्ट ज्ञान से अविलम्ब अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे शून्य आदेशों पर मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है फिर भी प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रथक से प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2619 वांके ग्राम बसईनबाब–ए आदेश तहसीलदार सैपऊ दिनांक 12.09.2020 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नामान्तकरण संख्या 2619 दिनांक 12.09.2020 वांके ग्राम बसईनबाव–ए, नकल नामान्तकरण संख्या 1088 दिनांक 23.04.1986 वांके ग्राम बसईनबाव–बी, नकल जमाबन्दी संबत 2076–79 खाता संख्या 321 ग्राम बसईनबाब–ए पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। रैस्पो0 संख्या 2 लगा05 की ओर से श्री राजेन्द्र सिंह राना एडवोकेट उपस्थित हुये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश का ज्ञान सर्वप्रथम अपीलान्ट को दिनांक 02.08.2021 को हल्का पटवारी से हुआ। जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है । अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाकर अपील अपीलान्ट ज्ञान से अंदर अवधि शुमार की जावे। रैस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र का कोई विरोध नहीं किया । दोनों पक्षों को सुनने के बाद हम अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना हम उचित समझते है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। अतः अपील अपीलान्ट ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जाती है।

बहस अन्तिम विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजीयात के खातेदार काश्तकार अपीलान्ट सं0 1लगा0 3 के बाबा एवं अपीलान्ट सं0 4लगा06 के पूर्व पुरूष तथा रैस्पो0सं0 2लगा04 के बाबा तथा रैस्पो0सं05 के ससुर सुन्दरा पुत्र खूबी थे। सुन्दरा का निधन अर्सा करीब 36 वर्ष पूर्व हो चुका है। मृतक सुन्दरा ने अपने निधनोपरान्त अपने बारिसान के रूप में पुत्रगण छोटे, रजरी व बाबू को छोडा है जिन्होने मृतक सुन्दरा का समस्त तर्का बिरासतन मुताविक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम बहिस्सा बराबर–बराबर प्राप्त किया तथा सुन्दरा द्वारा छोडी गयी समस्त आराजीयात पर मुताविक हिस्सा संयुक्त रूप से काबिज काश्त हुये। अपीलान्टस के पूर्व पुरुष छोटे का भी निधन हो चुका है। अपीलान्टस मृतक छोटे के बारिसान व कायममुकान है तथा रैस्पोडेन्टस संख्या–2 लगा0 5 मृतक बाबू के जायज बारिसान व कायममुकाम है जिन्होने विवादित आराजीयात मृतक बाबू पुत्र सुन्दरा की विरासत प्राप्त हुई है। रैस्पो0 सं0 2 लगा0 5 ने रैस्पो0 संख्या–1 से साजकर मृतक सुन्दरा के निधनोपरान्त विवादित आराजी में तन्हा अपने आपको मृतक सुन्दरा का उत्तराधिकारी दर्शित कर तन्हा अपने नाम अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करा लिया है जो कि बमुकावले हकूक अपीलान्टस प्रारम्भ से ही शून्य तथा बेअसर है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ अधिकारी द्वारा मृतक सुन्दरा के बारिसान की किसी प्रकार जॉच पडताल नहीं की और बिना जॉच पडताल किये रैस्पो0 सं0 2लगा05 को अवैध लाभ पहुंचाने की नीयत से रैस्पो0सं01 द्वारा नामान्तकरण आदेश पारित किया है जो अपने आप में प्रारम्भ से ही शून्य है जिसे निरस्त फरमाया जावे।

रैस्पोडेन्टस के अभिभाषक ने दौराने बहस अपील में अंकित कथनों का कोई विरोध नहीं किया। प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट का मुख्य रूप से यह कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2619 ग्राम वसईनबाब–ए में वर्णित आराजीयात के खातेदार काश्तकार अपीलान्ट सं0 1लगा0 3 के बाबा एवं अपीलान्ट सं0 4लगा06 के पूर्व पुरूष तथा रैस्पो0सं0 2लगा04 के बाबा तथा रैस्पो0सं05 के ससुर सुन्दरा पुत्र खूबी थे। सुन्दरा का निधन अर्सा करीब 36 वर्ष पूर्व हो चुका है। मृतक सुन्दरा ने अपने निधनोपरान्त अपने बारिसान के रूप में पुत्रगण छोटे, रजरी व बाबू को छोडा है जिन्होने मृतक सुन्दरा का समस्त तर्का विरासतन मुताविक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम बहिस्सा बराबर–बराबर प्राप्त किया तथा सुन्दरा द्वारा छोडी गयी समस्त आराजीयात पर मुताविक हिस्सा संयुक्त रूप से काबिज काश्त हुये। अपीलान्टस के पूर्व पुरूष छोटे का भी निधन हो चुका है। अपीलान्टस मृतक छोटे के बारिसान व कायममुकान है तथा रैस्पोडेन्टस संख्या–2 लगा0 5 मृतक बाबू के जायज बारिसान व कायममुकाम है जिन्होने विवादित आराजीयात मृतक बाबू पुत्र सुन्दरा की विरासत प्राप्त हुई है। रैस्पो0 सं0 2 लगा0 5 ने मृतक सुन्दरा के निधनोपरान्त विवादित आराजी में तन्हा अपने आपको मृतक सुन्दरा का उत्तराधिकारी दर्शित कर तन्हा अपने नाम अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करा लिया है जो गलत है। हमने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2619 ग्राम वसईनबाब–ए का अवलोकन किया जिसमें सुन्दरा पुत्र खूबी की विरासत का जो नामान्तकरण खोला गया है वह रैस्पो0 संख्या 2 लगा05 के नाम खोला गया है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध पूर्व के नामान्तकरण संख्या 1088 ग्राम बसईनबाब–बी में सुन्दरा पुत्र खूबी के वारिसान को दर्शाया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2619 ग्राम वसईनबाब–ए जो खोला गया है वह तथ्यों के सर्वथा विपरीत प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य पाई जाकर तहसीलदार सैपऊ को सुन्दर पुत्र खूबी के समस्त वारिसान की जॉच कर पुनः नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2619 दिनांक 12.09.2020 वांके ग्राम बसईनबाब–ए तहसील सैपऊ निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सैपऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह सुन्दरा पुत्र खूबी के समस्त वारिसानो की जॉच कर तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः नामान्तकरण तस्दीक किये जाने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार अग्रवाल
जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)